

A Sociological Study: Problems of Madari Community of Damanagar

Shailesh.d. Dedun

Ph.D. Scholar, Department of Sociology Saurashtra University, Rajkot,

सारांश:

भारत देश में अनेक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें एक मदारी समुदाय है, मदारी समुदाय किसी शहर के पास झोपड़ी या तंबू में निवास करते हैं, एवं जंगल में से जानवर पकड़कर लाते थे एवं खेल दिखाने का व्यवसाय करते थे, लेकिन अब नहीं क्योंकि सरकार ने किसी वजह से जंगल में से जानवर पकड़ने से पूरी तरह से बंद लगा दिया है, जिस वजह से परंपरागत व्यवसाय बंद हो चुका है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो इस चुनौती को किस दिशा की ओर मॉड दे रहे हैं, वो जानना आवश्यक है,।

आप सभी को ज्ञात होगा कि अन्य समुदायों की तुलना में मदारी समुदाय के बारे में कुछ गिने चुने शोध कार्य हुए हैं, मदारी समुदाय के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, हमने यह जानने का प्रयास किया है, कि मदारी समुदाय क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनके सामाजिक रीतिरिवाज क्या हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, कौनसी समस्याओं का सामना करते हैं, जिसकी जानकारी का हमें अभाव है, मदारी समाज में शिक्षा की स्थिति कैसी है, जिसकी जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको अन्य लोगों के समान कुशल श्रम करने का अवसर प्रदान हो, क्योंकि वर्तमान में मदारी समाज के लोग ग्रामीण क्षेत्र से 'फेरि' मांग कर अनाज एकत्र कर परिवार का पालन पोषण करते हैं, एवं साथ में अन्य व्यवसाय करते हैं, जैसे बकरी पालन, ऑटो रिक्शा, श्रमिक, प्लास्टिक की मेज बेचना आदि कार्य करते हैं। इस अध्ययन में यह भी जानने का प्रयास किया है कि मदारी समाज के लोग सरकारी योजनाओं से कितने परिचित हैं, किन किन योजना से लाभान्वित हुए हैं, तथा किस वजह से सरकारी लाभ से वंचित हैं, जिसकी जानकारी एकत्र की है, एवं मदारी समुदाय के लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, जैसी आदि बातों का जिक्र किया है।।

प्रमुख शब्द :- मदारी, दामानगर, व्यवसाय, शिक्षा, योजना,।

परिचय

भारत देश २१वीं सदी में आधुनिक टेक्नोलॉजी की रफ्तार से गुजर रहा है, हम सब भली-भांति इस बात से परिचित हैं, आज हम भारत में विकास दर देखा जाय तो आसमान छू रहा है, आज भारत देश लगभग सभी क्षेत्रों में विकास का अग्रता क्रम हासिल किया है, जैसे कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, एवं शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में काफी प्रगति की है, जिस वजह से जनता भली-भांति परिचित है, कि भारत देश किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आज भी इसे भारत में इसे कई समुदाय हैं, जो विकास एवं सुविधा से वंचित हैं, जिसमें एक समुदाय मदारी समुदाय है, क्योंकि मदारी समुदाय आज भी अन्य समुदाय से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, वजह यह है कि मदारी समुदाय शिक्षा से वंचित रहा है, आज के समय में शिक्षा ग्रहण का प्रारंभ हो चुका है, मदारी समुदाय को अन्य समुदाय की तरह परिवर्तित होने में काफी वक्त लगने की संभावना है,।

प्रस्तुत अध्ययन 'मदारी' समुदाय की स्थिति की जानकारी हेतु शोध किया गया है, जिसमें 'मदारी' समुदाय की स्थिति कैसी है, यह लोग वर्तमान में क्या व्यवसाय करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, परंपरागत व्यवसाय बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव देखने मिलता है, वह अब किस व्यवसाय की ओर आकर्षित हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह क्या काम करें ताकि परिवार का पालन कर सकें, एवं आने वाली पीढ़ी को किस दिशा की ओर ले जा सकते हैं, यह एक गंभीर समस्या उनके सामने चट्टान की दीवाल की तरह खड़ी है, इस समस्या से निपटने के लिए उनको शिक्षित होना अति आवश्यक होगा ताकि अन्य समुदाय की तरह 'मदारी' समुदाय का सर्वांगी विकास हो सके, भारत में इसे कई छोटे छोटे समुदाय हैं, जिसका सम्पूर्ण विकास से काफी पिछड़े हैं, सरकार को को इसे वंचित समुदाय का विकास करने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार का २०४७ का सपना साकार हो सके,

‘मदारी’ समुदाय में सरकारी योजनाओं से कितने परिचित है, एव आज तक किन किन योजनाओं का लाभ मिल पाया है, एव किन योजनाओं से वंचित है, क्या सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी कैसे हासिल करते हैं, जैसे की वर्तमान में चल रही विश्वकर्मा योजना, जिसमें एक परिवार के एक सदस्य हेतु व्यवसाय करने हेतु तालिम दी जाती है एव लोन दी जा रही है, ऐसी सरकार की काफी योजना अमल में है, लेकिन अति पिछड़े लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती जिस वजह से ऐसे कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, अगर सरकारी योजना का लाभ जरूरत मंद लोगों के पास पहुंचाया जाय तो काफी हद तक गरीबी कम हो जाएगी एव भारत एक गरीबी मुक्त राष्ट्र बन सकता है, सरकार गरीबी कम करने हेतु अनेक योजना अमल में ला रही है।

ख्याल की स्पष्टता

● दामानगर

दामानगर का अर्थ है ‘ दामा ‘ एक ‘आदिवासी’ जनजाति का (surname) उपनाम है, मदारी समाज को मेघरज के निवासी बनाने का श्रेय पूर्व तहसील प्रधान स्व. श्री नानजी भाई दामा साहब के 2001 से 2005 कार्यकाल में मदारी समाज को मेघरज ग्राम पंचायत के निवासी बना दिया एव आवास हेतु जमीन का आबंटन किया, जिस वजह से मदारी निवास को ‘दामानगर’ नाम से जाना जाता है।

● ‘मदारी’

मदारी एक हिन्दी शब्द है जिसका अर्थ है “सड़क पर प्रदर्शन करने वाला” या “ सड़क का जादूगर”। यह उन व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़क पर बाजारों में या सार्वजनिक चौकों पर करतब और भ्रम का प्रदर्शन करते हैं,

● सामाजिक दरज्जा

व्यक्ति को समाज में एक निश्चित समूह में ‘स्थान’ जिसे दरज्जा कहा जाता है, यह उच्च या निम्न क्रम में हो सकता है वह सामाजिक व्यवस्था अनुसार व्यक्ति का स्थान दर्शाता है,

● भूमिका संघर्ष

मदारी समुदाय के लोग ग्रामीण विस्तार में खाने के लिए अनाज एकत्र करने जाते हैं तो कई जगह उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, एव कई जगह तिरस्कार किया जाता है आपके हाथ पाव नहीं है कम करके खाओ यहाँ क्यू मागने आते हो लेकिन मजबूरन जाना पड़ता है अगर हमारे पास कोई रोजगार होता तो ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्यूकी उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है क्यूकी परंपरागत व्यवसाय पूरी तरह से बंद होने से वह नया व्यवसाय के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, सर्दी एव गरमी के समय खेत मजूरी का कार्य करने जाते हैं वह उन्हें २०० रुपए दैनिक राशि प्राप्त होती है लेकिन यह कार्य भी फसल की सीजन में ही मिलता है बाकी के समय बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, वर्तमान में बच्चे की पढ़ाई एव अन्य खर्च को पूर्ण करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है,

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन दामानगर के ‘मदारी समाज की समस्या’ ‘एक समाजशास्त्रीय अध्ययन’ का क्षेत्र गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले के मेघराज तहसील के दामानगर क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया है,।

अध्ययन के उद्देश्य

- ‘मदारी’ समुदाय की सामाजिक स्थिति की जानकारी हेतु,
- ‘मदारी’ समुदाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु,
- ‘मदारी’ समुदाय का व्यवसाय का परिवर्तन जानने हेतु,
- ‘मदारी’ समुदाय में सरकारी योजनाओं का प्रभाव जानने हेतु,

उपकल्पना

- ‘मदारी’ समुदाय में अधिकतर लोग गरीबी का सामना करने की संभावना है,।
- ‘मदारी’ समुदाय व्यवसाय के लिए संघर्ष करते रहने की संभावना है,।

- ‘मदारी’ समुदाय के लोग सरकारी योजना से लाभान्वित होने की संभावना है,।
- ‘मदारी’ समुदाय के लोगों के आवास की समस्या का सामना करने की संभावना है,।

डाटा एकत्र करने की पद्धति एवं प्रयुक्तियाँ

प्रस्तुत अध्ययन ‘मदारी’ समुदाय के प्रश्न एवं चुनौतियाँ हैं, प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने हेतु ‘प्रत्यक्ष’ मुलाकात अनुसूची के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया है, एवं त्रितीयक माहिती एकत्र करने हेतु ग्रंथालय के माध्यम से लायब्रेरी की किताब, आर्टिकल सरकारी अहेवाल, तहसील कचेरी के रेकॉर्ड, पीएच डी. एच. एम. फिल. के अध्ययन एवं न्यूज समाचार पेपर आदि का डट एकत्र करने हेतु उपयोग किया गया है,।

निदर्शन पसंदगी

प्रस्तुत अध्ययन में बिनयदह पद्धति द्वारा गुजरात राज्य के आरवल्ली जिले के मेघराज तहसील के ‘दमानगर’ के मदारी वास के लगभग ३०० परिवार में हेतुलक्षी निदर्शन पद्धति के माध्यम से आकस्मिक मुलाकात अनुसूची का प्रयोग कर ५० उत्तरदाताओं का चयन किया है,।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

- राजस्थान दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक ०१/सितंबर/२०२४ प्रकाशित खबर,
(समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बोर्ड गठन और सुविधाएँ देने की मांग)

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के लोगों ने अन्य समुदाय के समकक्ष लाने और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार से कई मांगे की हैं, इसमें बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में विमुक्त, घुमंतू, और अर्ध घुमंतू जाति के लोगों की एससी-एसटी से बदतर आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते अनुच्छेद 341 व 342 के तहत विमुक्त, घुमंतू, और अर्ध घुमंतू जाति (रेबारी, बंजारा, खानाबदोश जाति) जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या उसके समकक्ष मानकर 10% शैक्षणिक, राजनीतिक आरक्षण का लाभ देने की मांग की है, साथ ही टीएसपी क्षेत्र में पृथक से तहसील स्तर पर आवासीय विद्यालय व छत्रवास खोलने, राज्य सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय की महिलाओं को आरक्षण देने, सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा में इन समुदाय के छात्रों को अनुसूचित क्षेत्र में न्यूनतम अंकों में छूट का प्रावधान करने, सधन बस्तियों में माँ बाड़ी केंद्र, आगांवड़ी व हस्तशिल्प केंद्र खोलने, केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता देने, इस वर्गों के नियम में शिथिलता देकर निशुल्क पढ़े आंबटन करने, विमुक्त, घुमंतू जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने, गोपालक क्रेडिट योजना व पशु पालक क्रेडिट योजना शुरू करने जैसी मांगे की गई हैं,।

उपरोक्त खबर से यह साबित हो रहा है, की विचरती विमुक्त जातियाँ कहीं न कहीं अन्य समुदाय की तुलना में पिछड़ी रही हैं, इस लेख से हम ये जान सकते हैं की विचरती विमुक्त जातियाँ शिक्षा, रोजगार, गरीबी, आवास की सुविधा स्कूलों की व्यवस्था एवं आरक्षण एवं राजनीतिक भागीदारी से वंचित हैं।

- दैनिक भास्कर डूंगरपुर 06-09*2024

सरकार 2 अक्टूबर को घुमंतू परिवारों को देगी भूखंड, कलेक्टर करेंगे मॉनिटरिंग

राजस्थान में अब सरकार घुमंतू परिवारों को 300 वर्ग फिट का पट्टा देने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विसी के माध्यम से सभी जिला प्रमुख, कलेक्टर व जिला परिषद के अधिकारियों के साथ पट्टा वितरण अभियान की समीक्षा की है, प्रदेश में 11341 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 44981 गांव आते हैं, पंचायती राज आयुक्त व सचिव ने सभी जिला परिषद सीईओ को प्लॉट देने के अभियान में काम शुरू करने को कहा है। पंचायती राज विभाग ने हर गांव से बेघर घुमंतू खानाबदोश परिवारों का ब्योरा मांग है, सरकार का लक्ष्य है की इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि देश के विकास में ये कंधे से कंधा मिल के कार्य कर सके जो अधिकार अन्य लोगों को मिल रहा है वो ही अधिकार उनको भी मिलना चाहिए।

तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन

उत्तरदाताओं के पास से एकत्र सूचनाओं का सारणीयन कर तथ्यों का वर्गीकरण किया गया है,

उत्तरदाता के कुटुंब (परिवार) का प्रारूप

अनु नं	विगत	उत्तरदाताओं की संख्या	टकावारी
	सयुक्त कुटुंब	38	76%
	विभक्त कुटुंब	12	24%

कुल	50	100%
-----	----	------

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है की संयुक्त कुटुंब में निवास करने वाले परिवार की संख्या अधिक है एव विभक्त कुटुंब में निवास करने वाले परिवारों की संख्या कम है,जिससे कहा जा सकता है की सबसे अधिक संयुक्त कुटुंब में निवास करने वाले परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है।

उत्तरदाता के शिक्षा का स्तर

अनु.नं	विगत	संख्या	प्रतिशत
	निरक्षर	46	92%
	साक्षर	04	08%
	प्राथमरी	00	00%
	सेकण्डरी	00	00%
	हायर सेकण्डरी	00	00%
	स्नातक	00	00%
	कुल	50	100%

उपरोक्त कोष्टक में देखा जा सकता है,की निरक्षर उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है,एव साक्षर उत्तरदाताओंकी संख्या मात्र 8% देखने मिलती है,अतः प्राथमरी तक शिक्षा नहींवत 00% है,सेकण्डरी हायरसेकण्डरी वं स्नातक तक किसी ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है,इस से ये बताया जा सकता है,की सबसे अधिक लोग शिक्षा से वंचित निरक्षर है,

उत्तरदाताओं के व्यवसाय के प्रकार

अनु नं	विगत	संख्या	टकावारी
	अनाज मागने ग्रामीण क्षेत्र में जाना	45	90%
	बकरी पालन	39	78%
	मजूरी काम	48	96%
	तगारा बेचना	28	56%
	ऑटो रिक्शा	05	10%

उपरोक्त सारणी के अनुसार देखा जाय तो अनाज एकत्र करने हेतु ग्रामीण विस्तार में 90% लोग जाते है,बकरी पालन का व्यवसाय 78% है,मजूरी काम करने वाले 96% है,एव ग्रामीण विस्तारमें तगारा बेचने का व्यवसाय करने वाले 56% है,इसी तरह ऑटो रिक्शा का व्यवसाय करने वालों की संख्या 10% देखने को मिलती है,इससे कहा जा सकता है की सबसे अधिक लोग मजूरी काम करते है,एव सबसे कम लोग ऑटो रिक्शा का व्यवसाय करते है,।

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय

अनु नं	विगत	संख्या	टकावारी
	5000 से 10000	8	16%
	10000 से 15000	11	22%
	15000 से 20000	27	54%
	20000 से 25000	03	06%
	25000 से 30000	01	02%
	कुल	50	100%

उपरोक्त सारणी के अनुसार पाँच हजार से दश हजार की आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 16 % है,दश से बीस हजार रुपए की आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 22 % है पंद्रह हजार से बीस हजार रुपए प्राप करने वाले परिवारों की संख्या 54 % है, एव बीस से पच्चीस हजार रुपए परत करने वालों

परिवारों की संख्या मात्र 06% है, इसी तरह पच्चीस से त्रिस हजार रुपए की आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 02% है, उपरोक्त सारणी से यह बताया जा सकता है की पंद्रह से बीस हजार की आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, पच्चीस से बीस हजार आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या सबसे कम है,।

आकस्मिक खर्च दर्शाता कोष्टक

अनु नं	विगत	संख्या	प्रतिशत
	बैंक से लोन लेना	00	00%
	ब्याज से ऋण लेना	18	36%
	बकरी बेचना	21	42%
	रिश्तेदारी से प्राप्त करना	07	14%
	गहने गिरवी रखना	04	08%
	कुल	50	100%

उपरोक्त कोष्टक के अनुसार आकस्मिक जरूरत को पूरा करने हेतु ब्याज से राशि एकत्र करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 36% देखने को मिलती है एव बकरी बेच कर जरूरीयत पूर्ण करने वाले उत्तर दाताओं की संख्या 42% है, रिश्तेदारी से राशि प्राप्त करने वाले उत्तर दाताओं की संख्या 14% है एव गहने गिरवी रखकर जरूरीयत प्राप्त करने वाले उत्तर दाताओं की संख्या मात्र 08% है, इसी तरह बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले उत्तर दाताओं की संख्या नहीवत है, उपरोक्त माहिती के अनुसार बकरी बेचकर जरूरीयत पूर्ण करने वाले उत्तर दाताओं की संख्या सबसे अधिक है, बैंक से ऋण प्राप्त करने की संख्या नहीवत है,।

सरकारी योजनाओं का लाभ

अनु नं	विगत	संख्या	प्रतिशत
	आवास योजना	47	94%
	विश्वकर्मा योजना	08	16%
	वाली दिक्करी योजना	00	00%
	कुवर बाई ममेरु योजना	00	00%
	मानव कल्याण गरिमा योजना	03	06%

उपरोक्त कोष्टक से यह जान सकते हैं की आवास योजना का लाभ अधिक परिवारों को प्राप्त हुआ है, एसी तरह विश्वकर्मा योजना का लाभ मात्र 16% परिवार को प्राप्त हुआ है एव मानव कल्याण योजना का लाभ मात्र 06% लोगों को प्राप्त हुआ है, एव कुवर बाई ममेरु योजना तथा वाली दिक्करी योजना का लाभ किसी भी परिवार को प्राप्त हुआ नहीं है,।

तारण एव सुचन

- विभक्त कुटुंब से सयुक्त कुटुंब में निवास करने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है,।
- शिक्षा से वंचित निरक्षर उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई है,।
- अन्य व्यवसाय की तुलना में मजूरी काम करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है,।
- 15 से 20 हजार की आय प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है,।
- आकस्मिक खर्च को पूर्ण करने हेतु अन्य प्रयास की तुलना में बकरी को बेच कर पूर्ण किया जाता है,।
- सरकारी योजनाओं की तुलना में सबसे अधिक लाभ आवास योजना से मिल है,।

सुचन

- मदारी समुदाय को रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, क्यूकी उनके पास व्यवसाय के कोई अन्य स्रोत नहीं है।
- मदारी समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए क्यूकी ये लोग निरक्षर है जानकारी के अभाव से वंचित रहते है।

- वृद्ध पेन्सन एव “ विधवा” पेंशन से वंचित है क्युकी उनके पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है,इस समस्या का समाधान कर लाभ दिलवाने की आवश्यकता है ।
- आवास का लाभ मिल है लेकिन अधिकतर परिवारों के आवास के कार्य अपूर्ण है,वह आज भी तंबू मे बिना बिजली से निवास करते है,क्युकी कईयो को अंतिम किस्त का लाभ नहीं मिला एव पहाड़ के ऊपर समान पहुचने मे अधिक राशि का वहन करने की वजह से कार्य अपूर्ण है।
- मदारी समुदाय का विकास होने मे वक्त लगने की संभावना है क्युकी शिक्षा प्राप्त करने का प्रारंभ अभी अभी शुरू हुआ है लेकिन वर्तमान पीढ़ी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है ।

संदर्भ सूचि

1. लक्ष्मीनारायण कोली : २०२१ रिसर्च मैथडोलोजी
2. डॉ. संजीव महाजन : २०१० “सामाजिक शोध की पद्धतिया”
3. लोकेश के प्रसाद : २००४ “ अनुसंधान पद्धतिया”
4. (४) राजस्थान दैनिक भास्कर ०१/सितंबर/२०२४ :(समाज की मुख्य धारा मे लाने के लिए बोर्ड गठन और सुविधाए देने की मांग)
5. डॉ जयन्तीलाल बामनिया : २०२० अनमत एक परिचय
6. दैनिक भास्कर डूंगरपुर 06-09*2024 ;सरकार 2 अक्टूबर को घुमंतू परिवारों को देगी भूखंड, कलेक्टर करेंगे मोनिटरिंग